जलागम विकास परियोजना 102 और पंचायतों में शुरू होगी

नर्सिंग कालेज के लिए सिस्टर निवेदिता नर्सिंग महाविद्यालय को अपनाने की भी मंजूरी

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

शिमला, 27 अगस्त। लगभग पांच सौ करोड़ रुपए की लागत वाली हिमालय जलागम विकास परियोजना को प्रदेश की 102 और ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा। यह निर्णय आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने की।

इन पंचायतों को शामिल किए जाने के बाद इस परियोजना के तहत आने वाली पंचायतों की संख्या 704 हो जाएगी। यह परियोजना कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, चम्बा, सोलन और सिरमौर जिलों में चल रही है। विश्व बैंक की सहायता से चल रही इस योजना की अवधि में भी तीन साल की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना पुरस्कार आरम्भ करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत उन 137 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्होंने अपनी पंचायतों में शत प्रतिशत स्वास्थ्य स्मार्टकार्ड का लक्ष्य प्राप्त किया है। लाहौल घाटी की घोशाल ग्राम पंचायत ने शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है और इस पंचायत को 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यूर नाथ पंचायत ने 96.77 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है इस पंचायत को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दिमूल पंचायत को 10 हजार रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा।

मंत्रिमण्डल के निर्णय

मंत्रिमण्डल ने आरम्भिक तौर पर चुने हुए 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर तीन से छह महीने के दक्षता उन्नयन कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय दक्षता उन्नयन संस्थान (आईआईएसडी) द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से वर्ष 2017 तक अनुमानित तकनीकी दक्षता की होने वाली 4.5 लाख की कमी को पूरा करने के उद्देश्य के साथ चलाए जाएंगे। इन दक्षता उन्नयन कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि आधारित उद्योग, लाईट इंजीनियरिंग, जल विद्युत, आतिथ्य, निर्माण, दवा उद्योग सहित अन्य आवश्यकता आधारित विशेषज्ञ क्षेत्रों में कुशल तथा अकुशल श्रम शक्ति को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, सीआईआई और आईआईएसडी द्वारा किया जाएगा ताकि ये प्रमाणपत्र मान्यताप्राप्त रहें और प्रमाणपत्र धारकों को संबंधित उद्योगों में रोजगार प्राप्त हो सके। इसके लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह कार्यशील होने पर वार्षिक तौर पर 12 हजार से 15 हजार अतिरिक्त श्रमशक्ति उपलब्ध करवाएगा।

मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 155 पद भी स्वीकृत किए। भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट को 45 वर्ष से बढ़ाकर 52 वर्ष करने कर निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी विकास खंडों को वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान से जोड़ने को स्वीकृति भी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने श्री नयना देवी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने को स्वीकृति दी, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला के माध्यम से नर्सिंग महाविद्यालय चलाने के लिए सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय को अपनाने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में संयुक्त नियंत्रक (माप एवं तोल) के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को भी स्वीकृति प्रदान की।